

पुलिस आचरण

(ड्यूटी के दौरान आचरण के सामान्य सूत्र)

2015



पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश
इन्दिरा भवन, चतुर्थ तल, अशोक मार्ग, लखनऊ

प्रस्तावना

शहीद गुलाब सिंह लोधी पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव में उपनिरीक्षक (ना0पु0) रैंकर्स कोर्स के प्रशिक्षणार्थियों को दिये गये लेक्चर्स के सारांश को एक पुस्तिका के रूप में "वक्तव्यों का सारांश-(भाग-2)" शीर्षक से छपवा कर सर्वप्रथम वर्ष-2012 में वितरित किया गया था। इसके उपरान्त वर्ष-2014 में "पुलिस नागरिक सम्पर्क-शिष्टाचार" शीर्षक से तथा तत्पश्चात् 2015 कतिपय त्रुटियों का निवारण करके उसे इसी शीर्षक से पुनः मुद्रित कराया गया था।

अब इसमें बच्चों तथा महिलाओं के साथ व्यवहार के दो बिन्दु जोड़कर "पुलिस आचरण" शीर्षक से पुनः मुद्रित कराया जा रहा है। पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों/आर0टी0सी में प्रशिक्षण के समय इन बिन्दुओं पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

पुलिस की कामयाबी के लिये यह आवश्यक है कि जनता में उसकी स्वीकार्यता स्थापित हो। नागरिक पुलिस को अपना सहयोगी एवं मददगार समझे, तभी पुलिस की सार्थकता है।

मनुष्य अपने मान-सम्मान पर आघात को सहन नहीं कर सकता। कितनी ही उत्कृष्ट गुणवत्ता की सेवा उसे हमवार नहीं बना सकती, अगर इस प्रक्रिया में उसके स्वाभिमान/सम्मान को ठेस पहुँचती है। याद रखिये, स्वतन्त्रता के संघर्ष, विकास या सुशासन के लिये नहीं होते, बल्कि स्वाभिमान एवं स्वशासन के लिये होते हैं। सुशासन किसी भी स्थिति में स्वशासन का विकल्प नहीं बन सकता है। स्वशासन मानव पहचान एवं स्वाभिमान की राजनैतिक अभिव्यक्ति है। स्वशासन मानव की आधारभूत आवश्यकता है। मानव उसी व्यवस्था को अपनी व्यवस्था मानता है, जिसमें उसका मान-सम्मान सुरक्षित रहे। अतः पुलिस के लिये नितान्त आवश्यक है कि वह स्वयं लोगों के मान-सम्मान को ठेस न पहुँचाये तथा उन्हें महत्वपूर्ण एवं सम्मानित होने का एहसास कराये।

राज्य की संस्थाओं से व्यक्ति को सम्मान मिले, यह प्रजातन्त्र एवं स्वशासन की प्रथम आवश्यकता एवं पहचान है। प्रजातन्त्र में शासन व्यवस्था एवं राज्य संस्थाएँ जनता के ट्रस्ट पर बनी हैं। शासन के पदाधिकारी एवं संवैधानिक संस्थाएँ ट्रस्टी की स्थिति में होती हैं। ट्रस्टी को उतने ही अधिकार हैं, जितने ट्रस्ट में उसे दिये गये हैं। ट्रस्टीगण मालिक नहीं होते। शासन के पदाधिकारी जन प्रतिनिधि होने के नाते जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं एवं संवैधानिक संस्थाओं को भी जनता ने संविधान के जरिये कतिपय दायित्व निर्वहन के लिये स्थापित किया है। पुलिस एवं अन्य कर्मचारी उनके सेवक(Employees) हैं। इन्हे मालिक होने या शासक होने का दम्भ नहीं पालना चाहिए।

इसी उद्देश्य के लिये कतिपय विशिष्ट अवसरों के लिये आवश्यक शिष्टाचार के बिन्दु आगे दिये गये हैं। आमतौर पर ध्यान देने एवं पालन किये जाने वाले बिन्दु निम्नवत हैं:-

1. कांस्टेबल से लेकर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी पुलिस ड्रियूटियों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं। इन्हें कठिन एवं उत्तेजक परिस्थितियों में भी संयम बनाये रखकर कार्यवाही करने का गहन एवं दीर्घकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। अतः पुलिस अधिकारी एक सामान्य नागरिक की तरह स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं कर सकते। उन्हें सुप्रशिक्षित जनसेवक की तरह ही प्रक्रिया करनी चाहिए।
2. बातचीत में अपमानजनक/बेतकल्लुफी की भाषा का प्रयोग न करें।
3. किसी को भी सन्देह की नजरों से न देखें और उसे छोटा दिखाने का कार्य न करें।
4. उत्तेजित व्यक्ति को भी शान्ति एवं सद्भावपूर्वक शान्त करें। स्वयं उत्तेजित न हों। वह हिंसक न हो तो शान्तिपूर्वक पूरी बात सुनें और उचित कार्यवाही का आश्वासन दें। पीड़ित व्यक्ति द्वारा अपनी पीड़ा की अशिष्ट एवं अनुचित अभिव्यक्ति पर भी पुलिस को हिंसक या अपमानजनक प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए।
5. हिंसक/हिंसा पर उतारू व्यक्ति को भी न्यूनतम शारीरिक चोट पहुँचाकर काबू में किया जाये। इस प्रक्रिया में व्यक्ति को अपमानित न किया जाये। पुलिसजन को इस कार्य के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।
6. भले ही कोई व्यक्ति आप पर या आमतौर पर पुलिस पर अविश्वास व्यक्त करे या अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करे इसका प्रतिउत्तर उत्तेजित या अशोभनीय नहीं होना चाहिए। ऐसे मामले में कानून को खींचकर मुकदमा न बना दिया जाये।

7. नागरिकों से यथा आवश्यक एवं उचित रूप से सहानुभूतिसूचक/सम्मान सूचक सम्बोधनों/ शब्दों का प्रयोग अवश्य किया जाये । उदाहरणार्थ:—“क्षमा करें”, “मुझे अफसोस है”, “हम लोग सब आपके इस दुख में आपके साथ हैं”, “हम लोग पूरी कोशिश और शीघ्रता करेंगे”, “गलती की माफी चाहता हूँ”, “आपको कष्ट देने के लिये क्षमा चाहता हूँ”, “सहयोग के लिये धन्यवाद”, “आपने पुलिस की बड़ी मदद की, धन्यवाद” इत्यादि ।
8. कमजोर/गरीब व्यक्ति के साथ भी वैसा ही व्यवहार करें जैसा किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति या अधिकारी के साथ करते हैं ।
9. यदि दिल से सेवा का भाव रखा जायेगा तो उचित सम्बोधन अपने आप बन जायेंगे ।
10. “पुलिस शासक नहीं, सेवक है”, इस बात को हमेशा अपने दिल-दिमाग में बैठाकर रखें ।

भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या:छ:-24021/97/84-जीपीए.1,दिनांकित 04.07.1985 एवं 10.07.1985 द्वारा पुलिस के लिये आचरण संहिता जारी की है। इसे इस पुस्तिका के अन्त में उद्धरित किया गया है। यह अंग्रेजी में जारी की गयी है। इसका हिन्दी अनुवाद मेरे द्वारा किया गया है।

सुलखान सिंह,
पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण,
उ०प्र०

दिनांक 04-9-2015

पुलिस आचरण

इण्डेक्स

1. थाने पर
2. बच्चों के साथ व्यवहार
3. महिलाओं के साथ व्यवहार
4. सड़कों पर वाहन से यात्रा करते समय
5. मेला/उत्सव/जुलूस/सभा आदि पर पुलिस प्रबन्ध के समय
6. पिकेट/गश्त/पैदल भ्रमण के समय
7. आन्दोलनों के अवसर पर/दुर्घटनाओं के मौके पर
8. गिरफ्तारी/गृह तलाशी इत्यादि के समय
9. किसी आयोजन पर आमन्त्रित होने पर
10. विधि विरुद्ध भीड़ से निपटना
11. रेल/सार्वजनिक वाहनों से यात्रा करते समय
12. वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता/विमर्श के समय
13. घटनास्थल का निरीक्षण करते समय
14. गवाहों के बयान लेते समय
15. किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम/सेमीनार इत्यादि में भाग लेते समय
16. वी0आई0पी0 ड्यूटी के समय
17. पुलिस के लिए आचार संहिता

1. थाने पर

1. जब भी कोई व्यक्ति थाने पर आये तो जो भी पुलिस कर्मी सबसे पहले उसके सामने पड़े वह पूछे कि आइये, बताइये कैसे आये हैं? उसकी आवश्यकतानुसार उसे हे0मो0/थानाध्यक्ष या अन्य अपेक्षित अधिकारी के पास भेज दें।
2. सम्बन्धित अधिकारी विनम्र एवं धीमी आवाज में उसे बैठाये और पूरी बात सुनकर तत्परता से कार्यवाही करें। समयानुसार यदि एक गिलास पानी दे दिया जाये तो बहुत अच्छा रहेगा।
3. यदि उसे एफआईआर लिखानी है तो तत्काल जबानी या लिखित जो भी हो, एफआईआर लिखी जाये और उसे प्रति दे दी जाये। यदि वह तहरीर लिख कर नहीं लाया है तो उसे लिखित देने को बाध्य न करें, जबानी ही एफआईआर लिख ली जाये एवं उसकी प्रति तत्काल दे दी जाये। आगे की कार्यवाही पुलिस किस प्रकार करेगी यह भी बता दिया जाये।
4. एफआईआर दर्ज करते समय कार्यालय में अनावश्यक लोग सुनने की दूरी पर न रहे। महिला की एफआईआर/शिकायत के समय उसके रिश्तेदार/मित्रों के अलावा मात्र थानाध्यक्ष या एफआईआर लेखक ही रहें। अन्य पुलिस अधिकारी भी सुनने की दूरी पर न रहें।
5. कृपया याद रखें कि एफआईआर दर्ज न करना भा0दं0वि0 की धारा 166ए के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः कृपया एफआईआर दर्ज करने में आना-कानी, विलम्ब या इन्कार न करें।
6. थाने पर शिकायत करने वाले के समक्ष शिकायत के बारे में सन्देह न प्रकट किया जाये। यदि कोई स्थिति स्पष्ट करनी हो तो प्रश्न इस प्रकार किये जायें जिससे यह न प्रतीत हो कि उसकी बात पर सन्देह प्रकट किया जा रहा है या विश्वास नहीं किया जा रहा है।
7. थाने पर आमजनों के आने जाने के स्थानों पर आम लोगों की निगाह के अन्दर पुलिस जन अधनंगे हालत में न दिखायी दें। वहाँ पर जोर-जोर से हँसना/ठिठोली करना/हँसी मजाक करना/गाली गलौज जैसी अशिष्ट हरकतें न की जायें।
8. विवेचनाधिकारी भी गोपनीयता का ध्यान रखें। मीडिया को ऐसे बयान न दिये जायें जो घटना पर सन्देह जाहिर करते हों या बिना पूर्ण आधार/साक्ष्य के कोई निष्कर्ष प्रकट करते हों। इस प्रकार के बयानों से पुलिस के पूर्वाग्रहग्रस्त होने की धारणा बनती है, जो एक निष्पक्ष विवेचना के लिये घातक है।
9. अगर शिकायत/एफआईआर कर्ता की स्वयं की भी कुछ असावधानी/त्रुटि प्रतीत हो तो उसे व्यक्त न किया जाये। इससे पीड़ित व्यक्ति के मन में ऐसी धारणा बन जाती है कि यह अधिकारी न्यायोचित कार्यवाही नहीं करेगा।

2. बच्चों के साथ व्यवहार

1. तेज/ऊँची आवाज में बात न करें।
2. प्रेम पूर्वक एक अभिभावक की तरह बात करें।
3. बच्चों के साथ डाट-डपट या हिंसा का प्रयोग न करें।
4. बच्चों के साथ व्यवहार के सभी कानूनी प्रावधानों का पालन करें। सम्बन्धित अधिनियम एवं नियमों का गहनता से अध्ययन करें।
5. बच्चों के माता/पिता या अभिभावक को तत्काल बुलवायें।
6. अपराधों में संलिप्त पाये गये बच्चों के साथ भी अभियुक्त जैसा व्यवहार न करें। ध्यान रखें कानून के खिलाफ पाये जाने वाला बच्चा भी "पीड़ित" (Victim) है, अभियुक्त नहीं।
7. बच्चों में भय या असुरक्षा का भाव न पैदा करें।
8. तलाशी, गिरफ्तारी इत्यादि के समय यदि बच्चे मौजूद हों तो इस बात का ध्यान रखा जाये कि उनमें भय, असुरक्षा उनके अभिभावकों को अपमानित किये जाने का भाव न पैदा हो।

3. महिलाओं के साथ व्यवहार

- (1). शिकायत/एफ0आई0आर0 दर्ज कराने आई महिला से हे0मो0 या उपलब्ध हो तों थानाध्यक्ष स्वयं बात करके शिकायत/एफ0आई0आर0 दर्ज करें।
- (2). महिला को रात्रि में थाने पर नहीं बुलाया जाये तथा न ही रोका जाये।
- (3). महिला का बयान उसके घर में जाकर ही किसी अन्य महिला/पुरुष रिश्तेदार की मौजूदगी में लिया जाये।
- (4). किसी महिला द्वारा दिया गया शिकायती प्रार्थना पत्र/एफ0आई0आर0 जॉचकर्ता के अलावा कोई अन्य न पढ़े।
- (5). महिला से ऐसे सवाल न पूछे जायें जिनका सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप उसके लिए जवाब देना असुविधाजनक या लज्जाजनक हो।
- (6). जमानती अपराध में महिला की गिरफ्तारी करने पर उसके घर पर ही जमानत पर छोड़ दिया जाये।
- (7). गैरजमानती अपराधों में गिरफ्तार होने की सूरत में यदि अपराध मृत्युदण्ड/आजीवन कारावास से दण्डनीय न हो एवं महिला की सकूनत सही पाई गयी हो तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिये।
- (8). महिला को हथकड़ी न लगायी जाये।
- (9). अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम लागू करने में महिलाओं के शील का पूर्ण ध्यान रखा जाये।
- (10). गृह तलाशी एवं गिरफ्तारी के समय सभ्य एवं शालीन व्यवहार होना चाहिए।
- (11). भीड़ से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में महिला पुलिस/होमगार्ड का इन्तजाम रखा जाये। यथा संभव महिलाओं पर बल प्रयोग न किया जाये।
- (12). मेला/जूलूस इत्यादि के अवसर पर महिलाओं के लिए अलग से काउन्टर रखा जाये
- (13). काउन्टर पर अनावश्यक लोग न बैठें।
- (14). ड्रियूटी पर लगे अधिकारियों की वर्दी तथा रूपरेखा ठीक एवं सभ्य-शरीफ दिखनी चाहिए।
- (15). आस-पास के काउन्टरों में या पास में जो-जोर से हँसने वाले, बात करने वाले या मजाक करने वाले या अन्य अशिष्ट क्रिया-कलाप नहीं किये जायें।
- (16). अनावश्यक बेतकल्लुफी न प्रकट की जाये।

4.सड़कों पर वाहन से यात्रा करते समय

1. वाहन चालक को पूर्व से ही स्पष्ट निर्देश दिये जायें कि वह वाहन निर्धारित गति सीमा के अन्दर एवं शालीनता से चलाये।
2. वाहन खतरनाक ढंग से न चलाया जाये।
3. वाहन इस प्रकार न चलाया जाये कि सड़क पर चलने वाले छोटे वाहन, साइकिल, स्कूटर, मोटर साइकिल इत्यादि को सड़क से उतर कर/भाग कर अपने को बचाना पड़े। हमारे वाहन से सड़क पर चलने वालों को भय या असुरक्षा या असुविधा नहीं होनी चाहिए।
4. जोर-जोर से हार्न बजाना या बिना इमरजेन्सी के साइरन बजाना गलत है। इससे लोगों में अलार्म/आतंक फैलता है।
5. किसी वाहन को ओवरटेक करते समय सामने से आ रहे वाहन का ध्यान रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वाहन की तीन लाइनें बन जायें या आने वाले वाहन को उतर कर हटना पड़े। इसमें भय पैदा होता है और दुर्घटना की सम्भावना बढ़ती है।
6. यदि सामने से साइकिल/रिक्शा/टेला जा रहा हो तो उसका रास्ता आगे से न काटें। इन वाहनों को रोकने/धीमा करने में बहुत ऊर्जा/श्रम लगता है। इससे नागरिकों को बहुत असुविधा होती है।
7. सड़क पर चलते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि सड़कें नागरिकों की सुविधा के लिये बनाई गयी हैं। पुलिस को अपनी सुविधा या सहूलियत के लिय आम जन को कष्ट या असुविधा नहीं पहुँचानी चाहिए।
8. कुत्तों एवं अन्य जानवरों को भी सड़क पर चोट-चपेट न लगने पाये। इससे जनता के मन में पुलिस की क्रूर छवि बनती है।
9. वाहन में बैठे-बैठे हाथ या डण्डा जोर-जोर से हिलाकर लोगों को हट जानें की हरकत बड़ी आपत्तिजनक प्रतीत होती है। ऐसा न किया जाये।
10. यदि कोई व्यक्ति सामने आ जाये या हार्न न सुनें या आपके अनुसार अन्यथा वह सड़क अनुशासन का उल्लंघन का रहा है तो उसके प्रति चिल्लाकर/अशिष्ट शब्दों का प्रयोग न किया जाये।

5.मेला/उत्सव/जुलूस/सभा आदि पर पुलिस प्रबन्ध के समय

1. वर्दी का ध्यान रखें।
2. शिष्ट एवं शालीन आचरण बनाये रखें।
3. नागरिकों की सहृदयतापूर्वक मदद करें।
4. अपने परिजनों/मित्रों से बिछड़े हुए लोगों को ढूँढकर मिलाने में मदद करें।
5. किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करते समय भी शिष्टता एवं मानवाधिकारों का पूर्ण ध्यान रखें।
6. पुलिस कैम्प में या पिकेट पर अनावश्यक रूप से लोगों को बैठाकर गप-शप न करें। लोग इसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखते।
7. वर्दी में सार्वजनिक रूप से या दुकानों में खड़े होकर खाने पीने का काम न करें। इससे मुफ्तखोरी का आभास होता है।
8. अपने खाने पीने या अन्य उपभोग का सामान सादे कपड़ों में जाकर उचित मूल्य का भुगतान करके ही खरीदें।
9. किसी को पुकारने/बुलाने में ए..., ओए..., अबे...इत्यादि अभद्र शब्दों का प्रयोग न करें।

6.पिकेट / गश्त / पैदल भ्रमण के समय

1. वर्दी ठीक हो एवं साफ हो ।
2. वर्दी सही हो । निर्धारित पैटर्न के अलावा अन्य वस्त्र न धारण करें ।
3. वेश-भूषा ऐसी होनी चाहिए कि देखने से पुलिसकर्मी सभ्य / शरीफ एवं प्रसन्नचित्त / मददगार प्रतीत हो ।
4. निर्धारित बेंत के अलावा अन्य लाठी / डंडा न लिया जाये ।
5. कहीं पर बेतकल्लुफी से न बैठें। बेंचों पर / पार्क में या अन्य ऐसी जगहों पर लेटी हालत में न रहें। सावधान / सतर्क हालत में बैठें एवं चलें।
6. कोई व्यक्ति कुछ पूछें / जानने आये तो तत्काल उसकी बात पर ध्यान दें एवं उचित सहायता करें। सभी को "आप" शब्द से सम्बोधित करें। बच्चों / बुजुर्गों को वय एवं आदरसूचक शब्दों से सम्बोधित किया जा सकता है ।
7. यदि आप किसी पुलिसजन या अन्य व्यक्ति से वार्तालाप कर रहें हैं और उसी समय कोई व्यक्ति कुछ पूछें आ जाये तो प्रचलित वार्तालाप तत्काल स्थगित करके उसकी बात सुनें एवं उचित सहायता करें।
8. चौराहों पर या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कभी भी बेतकल्लुफी या अभद्र प्रदर्शन जैसे जोर जोर से बातें करना, हँसना, हँसी मजाक / गाली गलौज करना इत्यादि न किया जाये ।
9. चाय-पान की दुकान पर न बैठें। अलग / निष्पक्ष स्थान पर बैठें। बैठनें / पिकेट के स्थान पर निठल्ले किस्म के लोगों को बैठाकर गपबाजी न करें।

7.आन्दोलनों के अवसर पर / दुर्घटनाओं के मौके पर

1. आन्दोलन के विषय के बारे में कोई राय न व्यक्त करें । ऐसा करने से आप अनचाहे ही पक्षकार बन जायेंगे और फिर आन्दोलनकारी आपके बारे में निष्पक्षता की भावना नहीं रखेंगे ।
2. उकसाये जाने पर भी धैर्य न खोयें । संयम बनाये रखें ।
3. किसी तरह की उत्तेजना फैलाने वाली बात या कार्य न करें ।
4. किसी व्यक्ति को अपमानित करने वाली या ठेस पहुँचाने वाली बात न कहें ।
5. वृद्धों / महिलाओं एवं बच्चों की सुविधा का विशेष ध्यान रखें ।
6. पीड़ित व्यक्तियों / अन्य लोगों द्वारा ऐसे अवसरों पर प्रायः उत्तेजित स्वर में सत्य / असत्य बातें कही जाती हैं एवं अशिष्ट तथा अस्वीकार्य भाषा का प्रयोग किया जाता है । आवर्त जनसमूह की यह उत्तेजना स्वाभाविक है एवं क्षणिक होती है। इससे पुलिसजनों को अपना संयम एवं धैर्य नहीं खोना चाहिए । उन्हें शान्ति एवं सहानुभूतिपूर्वक समझाना चाहिए ।

8. गिरफ्तारी / गृह तलाशी इत्यादि के समय

1. सार्वजनिक स्थान से किसी की गिरफ्तारी के समय यह ध्यान रखा जाये कि यथासम्भव गिरफ्तारी की बात आम लोगों को न मालूम पड़े ।
2. गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति से शिष्टतापूर्वक कहा जाये कि उसे अमुक आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है और आपको इस बात का अफसोस है कि आप उसे गिरफ्तार कर रहे हैं।
3. बिन्दु-2 मात्र शिष्टाचार का बिन्दु है। इसके अतिरिक्त मानवाधिकार की सभी औपचारिकतायें शत-प्रतिशत पूर्ण की जानी चाहिए ।
4. गिरफ्तारी के समय धक्का मुक्की / खींचना / धकेलना या अशिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए ।
5. गिरफ्तारी के समय मुद्दई / वादी या अन्य जनता का व्यक्ति साथ में नहीं होना चाहिए। इससे व्यक्ति अपमानित महसूस करता है और मुजाहमत हो सकती है। शत्रुता की कटुता तो हो ही जायेगी।
6. जामा तलाशी पूरी शिष्टता से ली जाये।
7. खाना-तलाशी (गृह तलाशी) के समय महिलाओं के शील / पर्दे तथा लज्जा का विशेष ध्यान रखा जाये।
8. खाना तलाशी के समय बच्चों का ध्यान रखा जाये । बच्चे आतंकित या भयभीत न महसूस करें ।
9. तलाशी के समय बातचीत / पूछताछ विनम्रतापूर्ण एवं धीमी आवाज में हो।
10. खाना तलाशी के समय सामान न बिखराया जाये तथा क्षतिग्रस्त न हो। सामान देखने के बाद उसे सहेज कर रखने एवं बक्से / आल्मारी बन्द करने का अवसर दिया जाये।
11. एक समय में उतने पुलिसकर्मी ही तलाशी लें, जितने गृह के सदस्य हों। अकेले-अकेले पुलिसकर्मी कमरों में न घुसे ।
12. जो सामान कब्जे में लिया जाये, उसकी स्पष्ट सूची बनाकर उसकी रसीद गृह स्वामी को दी जाये।
13. सामान की तोड़-फोड़ न की जाये। चल सम्पत्ति की कुर्की करते समय खिड़की दरवाजे उखाड़ना कानूनन गलत है एवं उदण्डता तथा क्रूरता द्योतक है। यह गम्भीर अपराध भी है। ऐसा न किया जाये।
14. गिरफ्तारी का स्थान एवं समय कदापि गलत न दिखाया जाये। इससे पुलिस के प्रति अभियुक्त एवं वादी दोनों में अविश्वास उत्पन्न होता है। यह गम्भीर अपराध भी है।

9. किसी आयोजन पर आमन्त्रित होने पर

1. अपने विभाग की बातें न करें। यथासम्भव राजनीति की बातें भी न करें।
2. किसी व्यक्ति या संस्था की बुराई न करें ।
3. शराब कदापि न पियें। यदि आप शराब पीते भी हैं तो किसी आयोजन / आमन्त्रण पर कदापि न पियें।
4. शस्त्र का प्रदर्शन न करें।
5. यथासम्भव वर्दी में न जायें। यदि वर्दी में हों तो वर्दी के नियम / गरिमा का ध्यान रखें।
6. किसी आयोजन / पार्टी में जोर-जोर से बोलना, हँसना, ठिठोली करना, गाली गलौज अत्यन्त अशिष्ट माना जाता है। ऐसा न किया जाये।
7. मेजबान की आम शोहरत यदि अच्छी न हो तो वहाँ विशेष रूप से आमन्त्रित करने पर भी न जायें। इससे आपकी शोहरत खराब होगी एवं निष्पक्षता की छवि प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी।

10.विधि विरुद्ध भीड़ से निपटना

1. भीड़ के समक्ष ऐसी बात न करें कि आप पक्षकार बन जायें। प्रायः ऐसे मौकों पर देखा गया है कि पुलिस कर्मियों की नासमझी के कारण मुद्दा बढ़कर जनता बनाम पुलिस हो जाता है।
2. यदि बल प्रयोग का आदेश दिया जाता है तो अपने अधिकारी के निर्देशानुसार न्यूनतम बल प्रयोग किया जाये। कमर के ऊपर लाठी/गोली न मारी जाये।
3. किसी व्यक्ति को ज्यादा चोट न पहुँचाई जाये।
4. जमीन पर गिरे किसी व्यक्ति को न मारा जाये।
5. घायलों को तुरन्त भीड़ से हटाया जाये।
6. भीड़ का पीछा करके घरों/दुकानों में घुसकर न मारा जाये।
7. भीड़ पर ढेले, पत्थर न फेंके जायें।
8. किसी से गाली गलौज न की जाये तथा अपमानित करने वाले शब्दों का प्रयोग न किया जाये।
9. भीड़ द्वारा उत्तेजित किये जाने पर भी उत्तेजित प्रतिउत्तर न दिया जाये।
10. बल प्रयोग करते समय हिंसा का भाव या बदला लेने की भावना न रखी जाये।
11. निर्धारित बेंत/शस्त्रों का ही प्रयोग किया जाये।
12. गिरफ्तार व्यक्तियों से शालीनता एवं सम्मान से बातचीत की जाये।
13. बन्दी बनाने के उपरान्त किसी व्यक्ति को मारा पीटा न जाये।
14. घायलों को तत्काल चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करायी जाये। जहाँ तक हो सके उचित उपचार के उपरान्त ही उन्हें थाने पर लाया जाये एवं आगे की कार्यवाही की जाये। घायलों से पूर्ण सहानुभूति रखी जाये।
15. याद रखिये कि विधि विरुद्ध भीड़ के व्यक्ति/गिरफ्तार व्यक्ति भी सम्मानित नागरिक हैं। वे हमारे ही गुमराह भाई-बन्धु हैं। शत्रु/दुश्मन नहीं हैं। अच्छा व्यवहार तो दुश्मन के साथ भी किया जाना चाहिए।
16. ध्यान रखें कि आपका व्यवहार ऐसा हो कि यदि वह व्यक्ति बाद में कभी आपको मिले तो आप झंपें नहीं/शर्मिन्दा न हों और उसके दिल में आपके प्रति कोई कटुता न हो बल्कि प्रेम एवं सम्मान हो।
17. एफआईआर में कोई झूठी बात न लिखें।
18. अभियोजन के दौरान कोई झूठी साक्ष्य किसी के आरोप पर न दें। जो देखा हो/सुना हो, वही कहें आपका काम अभियुक्तों को येन-केन-प्रकारेण सजा दिलाना नहीं है।
19. हमारी कार्यवाही की ताकत **“सत्य और अहिंसा”** होनी चाहिए। जब हम व्यक्ति और समूह की भलाई के लिये बिना किसी कूरता एवं बदले की भावना से बल प्रयोग करते हैं और इस प्रकार बल प्रयोग पर भी हमें हृदय से अफसोस या दुख ही होता है तो **“ऐसी कार्यवाही अहिंसा की श्रेणी में ही आयेगी”**।

11.रेल/सार्वजनिक वाहनों से यात्रा करते समय

1. निजी कार्य से यात्रा करते समय वर्दी न धारण करें।
2. हमेशा उचित टिकट लेकर ही यात्रा करें।
3. अपने टिकट से उच्च श्रेणी में न घुसें।
4. किसी के पास जगह न होने पर भी बैठना हो तो इजाजत माँग कर बैठें।
5. अपनी सीट/बर्थ पर ही बैठें। कई सीट की जगह न घेरें। किसी से सीट बदलनी हो तो उस पर कब्जा न करें, बल्कि निवेदन करके मर्जी से ही बदलें।
6. शालीनता से बैठें। धूम्रपान न करें। अशिष्ट बातें न करें। आपस में जोर-जोर से बातें न करें। हँसी मजाक न करें।
7. कोई पुलिस की बुराई करे तो उस परिचर्चा में शामिल न हों।
8. रेलगाड़ी में बैठकर ताश इत्यादि का खेल न शुरू करें।
9. डिब्बे में/बस में मूँगफली के छिलके या अन्य गन्दगी न फैलायें।
10. आपके बैठने से दूसरों को असुविधा न हो। किसी को धक्का मुक्की न करें।
11. कोई महिला या वृद्ध अगर खड़ा हो तो उसे बैठने की जगह दे दें।
12. अगर किसी परिचर्चा में शामिल हों तो गम्भीरता एवं जिम्मेदारीपूर्ण बातें कहें। हेकड़ी या ऊँची आवाज से तर्क एवं सच्चाई को दबाने का प्रयास न करें।

12.वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता/विमर्श के समय

1. पद की गरिमा का ध्यान रखें। बेतकल्लुफी न दिखायें।
2. हल्की बात न करें।
3. पूरी तैयारी के साथ वार्ता में जायें। जिस बात के बारे में आप सुनिश्चित न हों वह न करें अथवा पहले ही बता दें कि अमुक कथ्य के सम्बन्ध में आपके पास साक्ष्य/आधार नहीं हैं।
4. सुपरलेटिव डिग्री में बात न करें। मध्यम मार्ग पकड़े रहें।
5. गम्भीरता प्रदर्शित करते हुए तथ्यपरक एवं वस्तुनिष्ठ ढंग से अपनी बात रखें।
6. अपनी बात विनम्रतापूर्वक, किन्तु दृढ़ता एवं पूर्ण आत्म विश्वास के साथ कहें।
7. आपके वार्तालाप से ऐसा एहसास नहीं होना चाहिए कि आप किसी पक्ष की ओर अधिक दिलचस्पी ले रहे हैं। आपका प्रस्तुतीकरण एवं भाव भंगिमा निष्पक्ष होनी चाहिए।
8. आपके प्रस्तुतिकरण से ऐसा आभाष होना चाहिए कि एक गम्भीर, जिम्मेदार, पूरी तरह से तैयार, विद्वान एवं उच्च कर्म-कौशल का व्यक्ति सामने है।

13.घटनास्थल का निरीक्षण करते समय

1. घटना के मौके पर पीड़ित व्यक्तियों के साथ सहानुभूति रखें एवं शोक प्रकट करें। पूरी कार्यवाही गम्भीरता से की जायें।
2. पीड़ित व्यक्तियों को आश्वस्त करें, उन्हें सहज बनायें। उन्हें एहसास करायें कि पुलिस उनके साथ है।
3. उच्च कर्म-कौशल के साथ कार्य करें। अर्नगल/अनावश्यक वार्तालाप न करें।
4. घटनास्थल पर चाय-नाश्ता न करें। निवेदित करने पर भी न करें।
5. आपस में हल्की फुल्की/हँसी दिल्ली की बातें न करें।
6. अपने हाव भाव या शारीरिक चेष्टाओं से सन्देह/अविश्वास प्रकट न करें।
7. अगर आपको वादी/गवाहान के कथन/कथानक पर अविश्वास या संदेह हो तो भी इसे व्यक्त न होने दें।
8. अगर घटनास्थल पर लम्बा रूकते हैं तो पीड़ित पक्ष के घर से भोजन इत्यादि न ग्रहण करें। पास-पड़ोस के किसी अन्य व्यक्ति के यहाँ से भी ऐसी सामग्री न ग्रहण करें। अपनी व्यवस्था स्वयं करें। लोगों में ऐसा न महसूस हो कि यहाँ डकैती या कत्ल हो गया है और पुलिस दावत उड़ा रही है।
9. पीड़ित पक्ष से वाहन इत्यादि किसी संसाधन की अपेक्षा न करें और निवेदित करने पर भी स्वीकार न करें।

14. गवाहों के बयान लेते समय

1. गवाह को सम्मानपूर्वक सम्बोधित करके उसे सहज करें।
2. यथोपलब्ध आसन देकर बैठायें और सहानुभूतिपूर्वक वार्तालाप करें।
3. दिया गया बयान सत्यता से दर्ज करें।
4. प्रश्नावली/पूछताछ इस प्रकार गठित की जाये कि गवाह को ऐसा लगे कि उससे बिन्दु स्पष्ट कराये जा रहे हैं, उस पर अविश्वास नहीं किया जा रहा है।
5. गवाहों को विषम समय में न बुलाया जाये। उनके काम के समय का ध्यान रखा जाये। गवाहान के घर जाकर यथासम्भव बयान लिये जायें। कामकाजी व्यक्तियों की मजदूरी का हर्जा नहीं होना चाहिए।

15. किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम/सेमीनार इत्यादि में भाग लेते समय

1. पूरी तैयारी करके भाग लें।
2. विषय वस्तु पर केन्द्रित रहें।
3. असंगत/अर्न्गल बातें न करें। आधारहीन कथन नहीं किये जानें चाहिए।
4. जब तक बहुत आवश्यक न हो, अपने अनुभव का पिटारा न खोलें।
5. किसी व्यक्ति या संस्था की बुराई न करें। वस्तुपरक प्रस्तुतीकरण ही करें।
6. निर्धारित वेश-भूषा का पालन करें। मेस/भोजनालय में उचित शिष्टाचार का पालन करें। ऐसे स्थानों पर जोर-जोर से वार्तालाप, हँसी मजाक या अन्य अशिष्ट भाव-भंगिमा का प्रदर्शन न किया जाये।

16. वी0आई0पी0 ड्यूटी के समय

1. एस्कोर्ट या पायलट को डंडा या हाथ जोर-जोर से हिलाकर या चिल्लाकर शब्द करते हुए या अन्य अभद्र प्रदर्शन नहीं करना चाहिए।
2. नागरिकों को परामर्श/निर्देश देते समय शिष्ट शब्दावली का ही प्रयोग करना चाहिए।
3. पैदल चलते समय लोगों को धक्का देकर नहीं हटाना चाहिए। यदि सुरक्षा के लिये बहुत आवश्यक हो तो सीटी बजाकर रास्ता साफ करा लेना चाहिए, अन्यथा सामान्य रूप से चलते रहना चाहिए।
4. इमरजेन्सी होने पर ही साइरन/हूटर का प्रयोग करना चाहिए, रूटीन में नहीं।
5. यदि किसी की छत पर या घर के अन्दर ड्यूटी लगानी हो तो उससे अनुमति ले लेनी चाहिए एवं उसकी सहूलियत एवं निजता को ध्यान में रखकर ही ड्यूटी लगानी चाहिए।

17.पुलिस के लिये आचार संहिता

(गृह मन्त्रालय, भारत सरकार के पत्रांक:छ-24021/97/84-जीपीए.1, दिनांकित 04.07.1985 एवं 10.07.1985)

1. पुलिस को भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखनी चाहिए एवं संविधान के द्वारा गारंटी किये गये नागरिकों के अधिकारों का आदर एवं रक्षा करनी चाहिए।
2. पुलिस को किसी कानून की उपयोगिता या आवश्यकता पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। उन्हे कानूनों को निष्पक्षतापूर्वक एवं बिना भय, पक्षपता, दुर्भावना या बदले की भावना से लागू करना चाहिए।
3. पुलिस को अपनी शक्तियों एवं कार्यों की सीमा पहचाननी चाहिए एवं उसका सम्मान करना चाहिए। उन्हे न्यायपालिका के कार्यों को हड़पना या हड़पते हुए प्रतीत नहीं होना चाहिए। उन्हे दोषी को सजा देने या किसी से बदला लेने के लिये स्वयं किसी मामले में फ़ैसला नहीं करने लगना चाहिए।
4. कानूनों का पालन कराने या व्यवस्था बनाने में पुलिस को यथासम्भव समझाने/राजी करने, परामर्श या चेतावनी के तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। जब बल-प्रयोग अपरिहार्य हो जाये तो परिस्थितियों के अनुसार और अधिक कम न हो सकने वाले न्यूनतम बल का ही प्रयोग किया जाना चाहिए।
5. पुलिस का मुख्य कर्तव्य अपराध एवं अव्यवस्था को रोकना है। उनकी दक्षता की परीक्षा इनकी अनुपस्थिति में है न कि इनके विरुद्ध की जाने वाली प्रकट कार्यवाही।
6. पुलिस को यह जानना चाहिए कि वे भी सामान्य नागरिक ही हैं। अन्तर मात्र इतना है कि समाज के हित में एवं समाज की ओर से उन्हे उन ड्यूटियों में पूरा ध्यान देने के लिये लगाया गया है, जिनका पालन करना प्रत्येक नागरिक का भी दायित्व है।
7. पुलिस को यह एहसास होना चाहिए कि उनकी ड्यूटी का दक्षतापूर्वक निर्वाह स्वेच्छिक जनसहयोग पर निर्भर है। जनसहयोग इस पर निर्भर होगा कि वे अपने आचरण एवं कार्यों के लिये कितनी स्वीकार्यता प्राप्त करते हैं, वे कितना जनसम्मान एवं विश्वास अर्जित करते हैं तथा उसे बनाये रखते हैं।
8. पुलिस को जनकल्याण हमेशा अपने दिल में रखना चाहिए एवं जनता के लिये सहानुभूति एवं उनकी जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए। पुलिस को व्यक्ति की सेवा एवं मित्रता प्रदान करनी चाहिए तथा बिना किसी भेद-भाव के आवश्यक मदद देनी चाहिए।
9. पुलिस को स्वार्थ से पहले अपने कर्तव्य को रखना चाहिए, खतरों, चिढ़ाये जाने एवं अपमान के समक्ष शान्त रहना चाहिए और दूसरों के जीवन की रक्षा के लिये अपने जीवन को बलिदान करने के लिये तैयार रहना चाहिए।
10. पुलिस को हमेशा शिष्ट एवं सदाचारी होना चाहिए। भरोसेमन्द एवं निष्पक्ष होना चाहिए, उनमें आत्म-विश्वास एवं साहस होना चाहिए एवं चरित्र तथा जनविश्वास अर्जित करना चाहिए।
11. पुलिस के सम्मान का मौलिक आधार उच्च कोटि की सत्यनिष्ठा है। इसे मानते हुए, पुलिसजन को अपनी निजी जिन्दगी पूर्णतया निष्कलंक रखनी चाहिए एवं आत्मानुशासन विकसित करना चाहिए। उन्हे अपनी निजी एवं सार्वजनिक जिन्दगी में विचार एवं आचरण से सच्चा एवं ईमानदार होना चाहिए, ताकि जनता उन्हे उदाहरण योग्य नागरिक मानें।
12. पुलिस को जानना चाहिए कि राज्य के लिये उनकी पूरी उपयोगिता उच्च अनुशासन, कानून के अनुसार कर्तव्यों का सही पालन, वरिष्ठ अधिकारियों के विधिक आदेशों का सहज अनुपालन, पुलिस बल के प्रति पूर्ण समर्पण तथा अपने को हमेशा पूर्ण प्रशिक्षित एवं तैयारी की स्थिति में रखने से ही सिद्ध होगी।
13. एक सेक्यूलर, प्रजातान्त्रिक राज्य के सदस्य के रूप में पुलिस को हमेशा वैयक्तिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठने का उपक्रम करना चाहिए। उन्हे भारत के लोगों में समरसता एवं भातृभाव को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे लोग धार्मिक, भाषाई एवं क्षेत्रीय या वर्गीय विविधताओं से ऊपर उठ सकें एवं महिलाओं तथा कमजोर वर्गों के सम्मान के विरुद्ध व्यवहार का परित्याग करें।

CODE OF CONDUCT FOR THE POLICE

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Letter No. VI-24021/97/84-GPA.1, Dated 04.07.1985 and 10.07.1985)

- (1) The Police must bear faithful allegiance to the Constitution of India and respect and uphold the rights of the citizens as guaranteed by it.
- (2) The Police should not question the propriety or necessity of any law duly enacted. They should enforce the law firmly and impartially without fear or favour, malice or vindictiveness.
- (3) The Police should recognise and respect the limitations of their powers and functions. They should not usurp or even seem to usurp the functions of the judiciary and sit in judgement on cases to avenge individuals and punish the guilty.
- (4) In securing the observance of law or in maintaining order, the Police should as far as practicable, use the methods of persuasion, advice and warning. When the application of force becomes inevitable, only the irreducible minimum of force required in the circumstances should be used.
- (5) The prime duty of the Police is to prevent crime and disorder and the Police must recognise that the test of their efficiency is the absence of both and not the visible evidence of Police action in dealing with them.
- (6) The Police must recognise that they are members of the public with the only difference that in the interest of the society and on its behalf they are employed to give full time attention to duties which are normally incumbent on every citizen to perform.
- (7) The Police should realise that the efficient performance of their duties will be dependent on the extent of ready cooperation that they receive from the public. This, in turn, will depend on their ability to secure public approval of their conduct and actions and to earn and retain public respect and confidence.
- (8) The Police should always keep the welfare of the people in mind and be sympathetic and considerate towards them. They should always be ready to offer individual service and friendship and render necessary assistance to all without regard to their wealth or social standing.
- (9) The Police should always place duty before self, should remain calm in the face of danger, scorn or ridicule and should be ready to sacrifice their lives in protecting those of others.
- (10) The Police should always be courteous and well-mannered; they should be dependable and impartial; they should possess dignity and courage; and should cultivate character and the trust of the people.
- (11) Integrity of the highest order is the fundamental basis of the prestige of the Police. Recognising this, the Police must keep their private lives scrupulously clean, develop self-restraint and be truthful and honest in thought and deed, in both personal and official life, so that the public may regard them as exemplary citizens.
- (12) The Police should recognise that their full utility to the state is best ensured only by maintaining a high standard of discipline, faithful performance of duties in accordance with law and implicit obedience to the lawful directions of commanding ranks and absolute loyalty to the force and by keeping themselves in a state of constant training and preparedness.
- (13) As member of a secular, democratic state the Police should strive continually to rise above personal prejudices and promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities and to renounce practices derogatory to the dignity of women and disadvantaged segments of the society.

